भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3342
12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की स्थिति

† 3342. श्री अरुप चक्रवर्तीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के आरंभ से लेकर अब तक उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और अधिभोग किए गए घरों की संख्या सहित देश भर में इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्माण, निधि संवितरण और लाभार्थी पहचान में किसी देरी ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत घरों के समय पर पूर्ण होने को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का पीएमएवाई-यू को विस्तारित या पुनर्गठित करने का विचार है ताकि उन सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को आवास सुनिश्चित किया जा सके जिन्हें अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन

कर रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शुरूआत से अब तक स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और लाभार्थियों को कब्जा दिए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता जारी करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों को पूरा करने पर निर्भर है, जैसे उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना, लाभार्थियों की आधार सीडिंग, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), आवासों/परियोजनाओं के निर्माण चरणों की प्रगति की जियो-टैगिंग, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)/ 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) परियोजनाओं का पंजीकरण और, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश। पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय किस्तें जारी की जाती हैं। निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधि जारी करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के तहत पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12-36 महीने लगते हैं। आवासों को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था, राज्य के हिस्से की उपलब्धता आदि।

मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षाएं करता है।

******

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3342 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)			
			स्वीकृत आवास	**निर्माणाधीन आवास**	**पूर्ण/सौंपे गए आवास**	**कब्जा दिए गए आवास**
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,06,887	18,26,840	11,23,500	10,31,236
2		बिहार	2,91,422	2,91,224	1,98,458	1,98,407
3		छत्तीसगढ़	2,81,111	2,80,776	2,61,808	2,48,096
4		गोवा	3,146	3,146	3,146	3,146
5		गुजरात	9,72,025	9,71,456	9,51,630	9,09,095
6		हरियाणा	1,14,667	85,976	72,428	72,412
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,896	11,878
8		झारखंड	2,29,156	2,10,676	1,66,215	1,63,577
9		कर्नाटक	5,76,956	4,97,744	3,98,410	3,57,632
10		केरल	1,61,957	1,55,431	1,39,603	1,39,500
11		मध्य प्रदेश	9,46,592	9,45,711	8,92,380	8,82,266
12		महाराष्ट्र	11,85,439	11,55,256	10,22,981	9,69,176
13		ओडिशा	2,03,380	1,86,268	1,68,818	1,64,522
14		पंजाब	1,20,990	1,18,597	1,00,944	1,00,642
15		राजस्थान	2,92,400	2,89,967	2,58,631	2,53,198
16		तमिलनाडु	6,67,138	6,66,626	6,18,794	5,72,668
17		तेलंगाना	2,48,074	2,48,074	2,24,827	1,85,943
18		उत्तर प्रदेश	17,60,866	17,55,238	17,13,849	16,79,836
19		उत्तराखंड	63,605	62,826	51,116	42,670
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,06,238	5,08,157	5,07,347
उप-कुल (राज्य)			**1,06,53,556**	**1,03,70,710**	**88,87,591**	**84,93,247**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,068	8,068	8,068	6,852
22		असम	1,69,626	1,69,097	1,44,611	1,44,611
23		मणिपुर	52,519	49,657	22,503	22,503
24		मेघालय	4,758	4,123	2,839	2,839

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)			
			स्वीकृत आवास	**निर्माणाधीन आवास**	**पूर्ण/सौंपे गए आवास**	**कब्जा दिए गए आवास**
25		मिजोरम	39,150	39,109	33,950	33,950
26		नागालैंड	31,067	31,060	30,152	30,120
27		सिक्किम	299	299	219	219
28		त्रिपुरा	87,895	87,098	82,145	82,145
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**3,93,382**	**3,88,511**	**3,24,487**	**3,23,239**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	260	260	233	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	9,947	9,947	9,513	9,387
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	42,584	42,547	35,239	35,239
34		लद्दाख	1,283	991	960	960
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुडुचेरी	15,995	15,933	12,519	12,519
उप-कुल (यूटी)			**1,01,301**	**1,00,910**	**89,696**	**89,384**
कुल योग			**111.48 लाख**	**112.61लाख***	**96.44 लाख***	**93.97 लाख***

*मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख), कब्जे वाले (4.91 लाख)/निर्माणाधीन(4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

*****